दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

बुधवार, 28 मार्च, 2001/चैत्र 06, 1923 (शक)

संख्या-50 51

1. 2.04 बजे (माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुईं)

डॉ. जगदीश मुखी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम की धारा 7(2) के अंतर्गत अध्यक्ष को हटाये जाने के संबंध में दिये गये अपने संकल्प की सूचना के बारे में मामला उठाया ।

सदस्यों का निलम्बन

2. 2.22 बजे जैसे ही माननीय उपाध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था देनी चाही, श्री साहब सिंह चौहान ने संकल्प को सदन की अनुमति हेतु मतदान के लिये रखे जाने की मांग करने लगे और सदन के वैल में आ गये । उपाध्यक्ष महोदय ने श्री साहब सिंह चौहान को सदन से बाहर जाने के लिये कहा । भारतीय जनता पार्टी विधायी दल के सदस्य सदन के वैल में आ गये । उपाध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित सदस्यों को सदन से बाहर जाने के लिये कहा :-

डॉ. जगदीश मुखी
श्री नन्द किशोर गर्ग
श्री राम भज
श्री अविनाश साहनी
श्री पूरन चन्द योगी
श्री जय भगवान
श्री ब्रह्म सिंह तंवर
श्री मोहन सिंह बिष्ट
श्री हरशरण सिंह बल्ली
श्री रविन्द्र नाथ बंसल
श्री नरेश गौड़
श्री सुशील चौधरी
डॉ. हर्षवर्द्धन

3. 2.25 बजे सदन 15 मिनट के लिये स्थगित हुआ ।

4. 2.42 बजे सदन पुनः समवेत हुआ । श्री अजय माकन ने सदन को पूर्व में लिये गये संकल्पों के बारे में जानकारी दी ।

5. 2.45 बजे श्री जगदीश आनन्द ने मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला उठाना शुरू कर दिया और नारे लगाते हुए सदन के वैल में आ गये । उपाध्यक्ष महोदया को श्री जगदीश आनन्द को उनके इस दुर्व्यवहार के लिये इंगित करने के लिये मजबूर होना पड़ा ।

6· 2·47 बजे श्री मंगत राम सिंघल ने प्रस्ताव किया कि श्री जगदीश आनन्द को सदन की तीन दिन की बैठकों के लिये निलम्बित कर दिया जाये। प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

7· 2·49 बजे **उपाध्यक्ष द्वारा व्यवस्था**

अभारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को हटाने संबंधी सूचना पर व्यवस्था देते हुए उपाध्यक्ष महोदया ने सदन को सूचित किया कि उक्त संकल्प नियम-252 एवं 253 के उपबंधों को पूरा नहीं करता है, इसलिये उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया है।

8· 2·52 बजे श्री अरविन्दर सिंह लवली ने उनके द्वारा डॉ·जगदीश मुखी के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की सूचना और डॉ·जगदीश मुखी के विरुद्ध उनके गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य और अध्यक्ष के प्रति आचरण के बारे में दिये गये नोटिसों का मामला उठाया । उपाध्यक्ष महोदया ने व्यवस्था दी कि जहां तक विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का सवाल है, उसकी एक प्रति डॉ·मुखी को उनकी टिप्पणी के लिये भेजा जा रहा है । ससदस्यों द्वारा डॉ·मुखी द्वारा अध्यक्ष एवं उनकी व्यवस्थाओं के प्रति अनादर की भावना प्रदर्शित करने पर निन्दा प्रस्ताव को मतदान के लिये रखने का दवाब डाला गया । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

9· 2·55 बजे **प्रश्न**

तारांकित प्रश्न : तारांकित प्र·सं·81 पूछा गया और उसका मौखिक उत्तर दिया गया । तारांकित प्र·सं·82 से 100 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

अतारांकित प्रश्न : अतारांकित प्र·सं·339 से 426 (418 को छोड़कर) के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

10· 3·01 बजे **सदन पटल पर रखे गये कागजात**

डॉ·योगानन्द शास्त्री, खाद्य एवं संभरण मंत्री ने अनुलग्नक में दिये गये पत्रों की प्रति सदन पटल पर रखीं :-

11· 3·04 बजे **प्रतिवेदनों की सहमति हेतु प्रस्ताव**

(क) श्रीमती मीरा भारद्वाज ने प्रस्ताव किया कि यह सदन दिनांक 26·3·2001 को सदन में प्रस्तुत सदन पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है ।" प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

(ख) श्री जिले सिंह चौहान ने प्रस्ताव किया कि-"यह सदन दिनांक 26·3·2001 को सदन में प्रस्तुत प्राक्कलन समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है ।"प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया।

(ग) श्री पी·सी·कौशिक ने प्रस्ताव किया कि-"यह सदन 26·3·2001 को सदन में प्रस्तुत आश्वासन समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है ।" प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया।

12· 3·05 बजे **विशेष उल्लेख**

निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 287 के अंतर्गत मामले उठाये-

श्री शोएब इकबाल

मुख्य मंत्री ने मामले में हस्तक्षेप किया तथा श्री परवेज हाशमी, परिवहन मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

"यह सदन बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद् और ऐसे सभी संगठनों की निन्दा करता है, जो पवित्र कुरान शरीफ को जलाते समय स्पष्ट रूप से पहचाने जा चुके हैं और इन संगठनों पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये ।"

प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया।

2· श्री शादी राम

3· श्री जिले सिंह चौहान (स्वास्थ्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया)

4· श्री राधेश्याम खन्ना

5· श्री माला राम गंगवाल

6· श्री शीश पाल

7· श्री सुरेन्द्र कुमार

विधायी प्रस्ताव

13· 3·45 बजे **विधेयक का पुरःस्थापन**

श्री महेनद्र सिंह साथी, वित्त मंत्री ने दिल्ली जमाकर्त्ता (वित्तीय स्थापनाओ में) हित संरक्षण विधेयक, 2001 को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगी और अनुमति मिलने पर विधेयक को सदन में पुरःस्थापित किया ।

14· 3·47 बजे **विधेयक पर विचार एवं पारण**

श्री महेन्द्र सिंह साथी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाये । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया । वित्त मंत्री ने विधेयक के प्रावधानों के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य दिया । निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया-

1· श्री मुकेश शर्मा

2· श्री तरविन्दर सिंह मारवाह

3· श्री राधेश्याम खन्ना

15· 4·01 बजे सदन जलपान अवकाश के लिये स्थगित हुआ ।

16· 4·32 बजे सदन पुनः समवेत हुआ । माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए ।

विधेयक को खण्डवार विचार के लिये लिया गया -

खण्ड-2 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

अनुसूची-1§क§ के क्रम संख्या-3 में श्री मुकेश शर्मा ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

"100 रूपये के स्थान पर 50 रूपये पढ़ा जाये"
संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।
अनुसूची-1§क§ के क्रम संख्या- 1 से 4 तक मतदान के लिये रखे गये और स्वीकार किये गये ।

श्री मुकेश शर्मा ने सदन की अनुमति से अनुसूची-1§क§ के क्रम संख्या-5§ए§ में दिये गये अपने संशोधन को वापस ले लिया ।
श्री मुकेश शर्मा ने सदन की अनुमति से अनुसूची-1§क§ के क्रम संख्या-5§बी§ में दिये गये अपने संशोधन को वापस ले लिया ।

श्री मुकेश शर्मा ने अनुसूची-1§क§ के क्रम संख्या-5§सी§ में दिये गये अपने संशोधन को सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।

क्रम संख्या-5 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया।
श्री मुकेश शर्मा ने सदन की अनुमति से क्र·सं·6§2§ में दिये गये अपने संशोधन को वापस ले लिया ।
क्र·सं·6 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया
श्री मुकेश शर्मा ने क्र·सं·7 में दिये गये अपने संशोधन को सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।
क्र·सं· 7 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया।

श्री मुकेश शर्मा ने क्र·सं· 8§ए§ और 8§बी§ में दिये गये अपने संशोधनों को सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।
क्र·सं·8 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने क्र·सं·9 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया-
"50 रूपये" के स्थान पर "10 रूपये" पढ़ा जाये-
संशोधन को मतदा न के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।
क्र·सं·9 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने क्र·सं·10 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया-
'read monitory ceiling of Rs.10 Lacs as monitor ceiling of Rs.25 Lacs'

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।
क्र·सं·10 से 22 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

436

श्री मुकेश शर्मा ने क्र·सं·24﴾बी﴿ में दिया गया अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।

क्र·सं·24 से 34 मतदान के लिये रखे गये और स्वीकार किये गये।

श्री मुकेश शर्मा ने सदन की अनुमति से क्र·सं·35﴾सी﴿ में दिया गया अपना संशोधन वापस ले लिया ।

क्र·सं·35 से 40 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने क्र·सं·41﴾ए﴿ में निम्न संशोधन प्रस्तुत किया-

""दो रुपये के स्थान पर एक रुपया पढ़ा जाये"

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

क्र·सं·41 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया।

श्री मुकेश शर्मा ने क्र·सं·42 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया-

""10 के बजाये 5 पढ़ा जाये"

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

क्र·सं·42 से 65 तक मतदान के लिये रखे गये और स्वीकार किये गये ।

अनुसूची-1﴾क﴿ को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

खण्ड-1,प्रस्तावना एवं शीर्षक मतदान के लिये रखे गये और स्वीकार किये गये ।

17· 4·57 बजे श्री महेन्द्र सिंह साथी,वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक को पारित किया जाये । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

18· 4·58 बजे **प्रतिवेदन पर सहमति** : श्री हारून युसुफ ने प्रस्ताव किया कि - "यह सदन दिनांक 26·3·2001 को सदन में प्रस्तुत लोक लेखा समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है ।" प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

19· 4·59 बजे **बजट : 2001-2002**

वर्ष 2001-2002 के बजट पर आगे चर्चा हुई । निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री शादी राम

श्री शीश पाल

श्री माला राम गंगवाल

श्री चरण सिंह कंडेरा

20· 5·09 बजे **अध्यक्ष द्वारा घोषणा**

अध्यक्ष महोदय ने वित्तीय समितियों के लिये चुनाव परिणामों की घोषणा करते हुए सदन को सूचित किया कि वित्तीय समितियों सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के समाप्त होने पर जिन सदस्यों को प्रस्तावित किया गया है, वे सभी निर्विरोध निर्वाचित हो गये हैं ।

21· 5·12 बजे **बजट : 2001-2002 पर हुई चर्चा का उत्तर**

श्री महेन्द्र सिंह साथी, वित्त मंत्री ने वर्ष 2001-2002 के लिये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अनुमानित आय एवं व्यय के विवरण प हुई चर्चा का उत्तर दिया ।

22· 5·34 बजे **अनुदान मांगें**

राजस्व एवं पूंजी मद में 13 अनुदान मांगों को अलग-अलग मतदान के लिये रखा गया और सदन द्वारा स्वीकार किया गया । राजस्व मद में कुल रू· 35,93,63,63,000 और पूंजी मद में कुल रुपये-34,69,87,35 (कुल रुपये-70,63,50,98,000) मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया तथा कुल वसूलियां राजस्व मद में रुपये 33,75,00,000 तथा पूंजी मद में रू· 4,97,17,00,000 (कुल रुपये 5,30,92,00,00 मतदान के लिये रखी गयी और स्वीकार की गई ।

23· 5·40 बजे **विनियोजन (संख्या-2) विधेयक, 2001**

श्री महेन्द्र सिंह साथी, वित्त मंत्री ने विनियोजन (संख्या-2) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगने हेतु प्रस्ताव किया । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया । तत्पश्चात्, विधेयक को खण्डवार विचार के लिये लिया गया -

खण्ड-2, खण्ड-3 एवं अनुसूची को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

24· 5·41 बजे श्री महेन्द्र सिंह साथी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक को पारित किया जाये । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

25· 5·43 बजे सदन वृहस्पतिवार, 29 मार्च, 2001 को अपराह्न 2·00 बजे तक के लिये स्थगित किया गया ।

दिल्ली,
28 मार्च, 2001

एस·के·शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART I
(BRIEF RECORD OF PROCEEDINGS)

WEDNESDAY 28TH MARCH 2001/CHAITRA 07, 1923 (SAKA)

No : 51

1.	2.04 PM	(Hon'ble Deputy Speaker – In Chair) Dr. Jagdish Mukhi raised matter relating to notice for resolution for removal Of Speaker under Section 7(2) of the NCT Act.
2.	2.22 PM	SUSPENSION OF MEMBERS As the Deputy Speaker wanted to give her ruling, Sh. Sahab Singh Chauhan demanding that the resolution be put for leave of the House, moved into the well of the House. Chair asked Sh. Sahab Singh Chauhan to withdraw from the House. The members of the BJP Legislature Party moved into the well of the House. Chair asked the following members to withdraw from the House : Dr. Jagdish Mukhi Sh. Nand Kishore Garg Sh. Ram Bhaj Sh. Avinash Sahani Sh. Puran ChandYogi Sh. Jai Bhagwan Sh. Brahm Singh Tanwar Sh. Mohan Singh Bisht Sh. Harsharan Singh Balli Sh. Ravindra Nath Bansal Sh. Naresh Gaur Sh. Sushil Chaudhary Dr Harsh Vardhan
3.	2.25 pm	House adjourned for 15 minutes.
4.	2.42 PM	House re-assembled. Sh. Ajay Maken brought to the notice of the House of earlier precedents regarding Resolutions.
5.	2.45 PM	Sh. Jagdish Anand started raising matter relating to alleged corruption charges against the Chief Minister and moved into the well of Houseshouting slogans. Chair was forced to name Sh. Jagdiish Anand for his misbehaviour.
6.	2.47 PM	Sh. Mangat Ram Singhal moved a motion that Sh. Jagdish Anand be suspended from the service of the House for three sittings. The motion was put to vote and adopted.
7.	2.49 PM	RULING BY CHAIR Chair while giving ruling on the notice of resolution for removal of Speaker given by the BJP Members informed the House that since the notice did not fulfill the requirements of Rule 252 and 253 and hence the notice has been rejected .
8.	2.52PM	Sh. Arvinder Singh Lovely raised matter relating to his two notices viz (I) motion or breach of privilege against Sh. Jagdish Mukhi and (ii) a Censure Motion against Dr Mukhi of Sh. Jagdish Mukhi for his irresponsible utterances and conduct towards the Chair. Chair ruled that as regards the Motion on breach of privilege, a copy

Is being sent by the Secretariat to Dr Mukhi. Members kept pressing for motion to condemn the attitude of Dr Mukhi for showing disrespect to the Chair and its rulings The motion was put to vote and adopted.

9. 2.55 PM QUESTIONS

Starred Questions:- Starred Question No 81 was asked and orally replied. Replies to starred question 82 to 100 were laid on the Table of the House. Unstarred Questions :- Replies to unstarred questions 339 to 426 (excpet Q 418) were laid on the Table of the House.

10. 3.01 PM LAYING OF PAPERS ON THE TABLE OF THE HOUSE

Dr Yoganand Shastri, Minister of Food & Supplies laid on the Table copies Of papers as given in the annexure to this Bulletin.

11. 3.04 PM ADOPTION OF REPORTS

1. Smt Meera Bhardwaj moved that this House agrees to the First Report Of the Committee on Papers Laid on the Table of the House presented to the House on 26th March 2001. The motion was put to vote and adopted.
2. Sh. Jile Singh Chauhan moved that this House agrees to the Fourth Report of the Committee on Estimates which was presented to the House on 26th March 2001. The motion was put to vote and adopted.
3. Sh. PC Kaushik moved that this House agrees to the Fourth Report Of the Committee on Govt Assurances presented to the House on 26th March 2001. The motion was put to vote and adopted.

12 3.05 PM SPECIAL MENTIONS

The following members raised matters under Rule 287 :

Sh. Shoib Iqbal

Chief Minister intervened whereafter. Sh. Parvez Hashmi, Minister of Transport moved the following motion :

"This House condemns the acts of Bajarang Dal, Vishwa Hindu Parishad and all other such organisations who have been openly identified at the time of burning of the Holy Quran Sharief and these organisations should be banned forthwith."

The resolution was put to vote and adopted .

3. Sh. Shadi Ram
4. Sh. Jile Singh Chauhan(Minister of Health intervened)
5. Sh. Radhey Shyam Khanna
6. Sh. Malaram Gangwal
7. Sh. Sish PaL
8. .Sh. Surender Kumar

LEGISLATIVE PROPOSALS

13. 3.45 PM INTRODUCTION OF BILL

Sh. Mahender Singh Saathi, Minister of Finance moved for leave to introduce 'The Delhi Protection of Interests of Depositors(In Financial Establishments) Bill, 2001. On leave being granted also introduced the Bill.

14. 3.47 PM CONSIDERATION AND PASSING OF BILL

Sh. Mahender Singh Saathi, Minister of Finance moved that 'The Indian Stamp (Delhi Amendment) Bill, 2001, be taken into consideration. The motion was put to vote and adopted. Minister made a brief statement on the provisions of the

Bill. The following members participated in the discussion :

1. Sh. Mukesh Sharma
2. Sh. Tarwinder Singh Marwah
3. .Sh. Radhey Shyam Khanna

15 4.01 PM House adjourned for Tea break

16. 4.32 PM House re-assembled.(Hon'ble Speaker in chair).

Bill was taken up for clausewise consideration.

Clause 2 was put to vote and adopted.

Sh. Mukesh Sharma moved the following amendment in Sl No 3 of Schedule IA:-
' Read fifty rupees for Hundred rupees'
The amendment was put to vote and adopted.
Sl No 1 to 4 of Schedule IA was put to vote and adopted.

Sh. Mukesh Sharma withdrew his amendment in Sl No 5(a) of schedule IA. With the leave of the House
Sh. Mukesh Sharma withdrew his amendment in Sl No 5(b) of Schedule IA with the leave of the House.

Sh. Mukesh Sharma withdrew his amendment in Sl No 5 (c) of Schedule With the leave of the House.

Sl No 5 of schedule was put to vote and adopted.

Sh. Mukesh Sharma withdrew his amnedment in Sl No 6(2) with the Leave of the House.

Sl No 6 of schedule was put to vote and adopted.

Sh. Mukesh Sharma withdrew his amendment in Sl No 7 with the Leave of the House.

Sl No 7 was put to vote and adopted.

Sh. Mukesh Sharma withdrew his amendments in Sl No 8(a) and 8(b) With the leave of the House.

Sl No 8 was put to vote and adopted.

Sh. Mukesh Sharma moved the following amendment in Sl No 9 :-
' read ten rupees instead of fifty rupees'
Amendment was put to vote and adopted.

Sl No 9 was put to vote and adopted.

Sh. Mukesh Sharma moved the following amendment in Sl No 10:-
'read monitory ceiling of Rs 10 Lacs as monitory ceiling of Rs 25 Lacs'
The amendment was put to vote and adopted.

Sl No 10 to 22 were put to vote and adopted.

Sh. Mukesh Sharma withdrew his amendment in Sl No 23 with the leave of the House..

Sl No 23 was put to vote and adopted.

Sh. Mukesh Sharma withdrew his amnedment in Sl No 24(b) with the leave of the House.

Sl No 24 to 34 was put to vote and adopted.

Sh. Mukesh Sharma withdrew his amendment in Sl No 35(c).

Sl No 35 to 40 were put to vote and adopted.

Sh. Mukesh Sharma moved amendment in Sl No 41(a) :-
' read one rupee for two rupees'
The amendment was put to vote and adopted.

Sl No 41 was put to vote and adopted.

Sh. Mukesh Sharma moved amendment in Sl No 42 :-
' read five ionstead of ten'
The amendment was put to vote and adopted.

Sl No 42 to 65 were put to vote and adopted.

Schedule IA was put to vote and adopted.

Clause 1, Preamble and title was put to vote and adopted.

17. 4.57 PM Sh. Mahender Singh Saathi moved that the Bill be passed. Motion was put to vote and Bill was passed.

18 4.58PM <u>ADOPTION OF REPORT</u> : Sh. Haroon Yusuf moved that the House agrees to the Sixth Report of the PAC presented to the House on 26.3.2001. The motion was put to vote and adopted.

19. 4.59 PM <u>BUDGET 2001-2002</u>
Further discussion on Budget 2001-2002. The following members participated In the discussion :-

Sh. Shadi Ram
Sh. Sinsh Pal
Sh. Malaram Gangwal
Sh. Charan Singh Kandera.

20. 5.09 PM <u>ANNOUNCEMENT BY CHAIR</u>
Chair while announcing the results for election to the Financial Committees Informed the House that on expiry of the last date and time for being members To serve on the Financial Committee all the members who had been proposed Have been elected unopposed.

21. 5.12 PM <u>REPLY OF DEBATE ON BUDGET 2001-2002</u>
Sh. Mahender Singh Saathi , Minister of Finance replied to the debate on Discussion on the Statement of Estimated Receipts and Expenditure of Govbt of the National Capital territory of Delhi for the year 2001-2002.

22.	5.34 PM	DEMAND FOR GRANTS The Demands for Grants under the Head Revenue and Capital in each of The 13 demands were put to vote separately and passed by the House. A total demand of Rs 35,93,63,63,000 under Revenue Head and Rs 34,69,87,35 under the Capital Head totaling to Rs 70,63,50,98,000 Were voted and recoveries of Rs 33,75,00,000 in Revenue and R Rs 4,97,17,00,000 totaling to Rs 5,30,92,00,000 were passed.
23	5.40 PM	APPROPRIATION BILL (No 2), 2001 Sh. Mahender Singh Saathi, Minister of Finance moved for leave to Introduce The Appropriation Bill (No 2), 2001. The motion was put Vote and adopted. Thereafter, clause by clause consideration of the Bill was taken up. Clause 2, 3 and Schedule were put to vote and adopted. Clause 1, Preamble and Title was put to vote and adopted.
24.	5.41 PM	Sh. Mahender Singh Saathi moved that the Bill be passed. Motion Was put to vote and the Bill passed.
25.	5.43 PM	House adjourned till 2.00 PM on 29th March 2001.

S.K.SHARMA
SECRETARY

Place : Delhi
Date 28th March 2001